

4.10.17

पत्रावली पेश हुई। वकलात उपस्थित। वकलात के निवेदन पर बहरा छा. पत्र डायरी निषेधाज्ञा की जावनी की गई। पत्रावली वाले आदेश दिनांक 10.10.17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (गुन्डरी)

10.10.17

पत्रावली पेश हुई। वकलात उपस्थित। पत्रावली एवं उपखण्ड दरगानेदार का सामान पूर्व का जावनीकन किया गया। ग्राम टीहनवाड की सरहद में स्थित भूमि श.नं. 1314 शामलाती कृषि भूमि है जिसमें आवेदिका एवं आवेदकगण के नामों का अन्य सरगानेदारों के नाम भी भूमि दर्ज निकाई है लेकिन आवेदिकागण द्वारा आवश्यक पक्षकार होने के उपरांत भी उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदिकागण द्वारा लाद विभाजन पेश किया गया है। बिना दृष्टि कारण के एक सरगानेदार आपने अन्य सरगानेदारों को धाबन्द नहीं करवा सका है। धारणा पत्र के लीगे बिन्दु आवेदिकागण के पक्ष में नहीं होने के कारण धारणा पत्र डायरी निषेधाज्ञा रवास्ता किया जा रहा है। पत्रावली किसल कुमार होकर गम्बर के कम हो तथा भूमि का के संलग्न रहे।

10/10/17

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (गुन्डरी)